मध्यप्रदेश शासन — रूक 53

सामान्य प्रशासन विभाग

(शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन)

मंत्रालय, भोपाल

क्र. एफ 3–1/2007/1–15/क.क. भोपाल, दिनांकः 12 मार्च, 2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल,म.प्र.ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्य प्रदेश।

विषयः मध्यप्रदेश शासकीय सेवक सेवा संघों के पदाधिकारियों को स्थानांतरण से छूट देने के संबंध में।

संदर्भः इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 10–9/96/1–15/क.क., दिनांकः 24 जून, 1996.

उक्त विषयक संदर्भित परिपत्र का कृपया अवलोकन कीजिए। जिसमें मध्यप्रदेश शासकीय सेवक सेवा संघों के पदाधिकारियों को स्थानांतरण में छूट प्रदान करने संबंधी नीति निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

2/ स्थानांतरण में छूट प्रदान किये जाने संबंधी उक्त निर्देशों का दुरूपयोग न होने पाये इसलिए स्थानांतरण रोकने के पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित किया जाये कि स्थानांतरित पदाधिकारी का चुनाव शासकीय प्रतिनिधि की देख–रेख में कराए गये हों तथा मतदान के आधार पर चयनित पदाधिकारियों की सूची संबंधित विभाग/कार्यालय एवं इस विभाग को प्रतिवर्ष दिनांक 30 अप्रैल तक अद्यतन स्थिति में जमा की गई हो। ऐसी सूची में दर्शाए गए पदाधिकारियों को, स्थानांतरण की छूट के संबंध में जारी संदर्भित परिपत्र दिनांक 24 जून, 1996 में वर्णित निर्देशों का पालन करते हुए दिया जाये। निर्देश का दुरूपयोग या अनुचित लाभ न लिया जाए यह भी सुनिश्चित करने का कष्ट करे।

12.3.07

(ओ0 पी0 चौधरी)
उप संचालक
सामान्य प्रशासन विभाग–15

पृ.क्र. एफ 3–1/2007/1–15/क.क. भोपाल, दिनांकः 12 मार्च, 2007

प्रतिलिपि :–

पत्राचार की सुविधा प्राप्त कर्मचारी संघों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित। संघ के पात्रताधारी पदाधिकारियों की जानकारी सा.प्र.वि.,कक्ष–15 को 30.4.2007 तक अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करें। इस तिथि के बाद प्राप्त किसी भी सूची को विचार में नहीं लिया जायेगा।

697
16.3.07

12.3.07

उप संचालक
सामान्य प्रशासन विभाग–15

Circular 2144

कार्या० आयुक्त आ. वि.

पृ. क्र. 2-था/3/सर्कुलर/06 5499 भोपाल. दि. 21-3-07.

प्रतिलिपि: (1) आयुक्त अनुसूचित जाति वि०/ संचालक T.A.D.P./संचा. T.R.I. संचा. पिछड़ा वर्ग

(2) समस्त सहा. आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य०

(3) समस्त अपर संचा. (उपायुक्त) को आवश्यक कार्य. हेतु

16/3

254

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन)
मंत्रालय, भोपाल

क्र. एफ 3–1/2007/1–15/क.क.

भोपाल, दिनांक: 12 मार्च, 2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल,म.प्र.ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक सेवा संघों के पदाधिकारियों को स्थानांतरण से छूट देने के संबंध में।

संदर्भ: इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 10–9/96/1–15/क.क., दिनांक: 24 जून, 1996.

उक्त विषयक संदर्भित परिपत्र का कृपया अवलोकन कीजिए। जिसमें मध्यप्रदेश शासकीय सेवक सेवा संघों के पदाधिकारियों को स्थानांतरण में छूट प्रदान करने संबंधी नीति निर्देश प्रसारित किये गये है।

2/ स्थानांतरण में छूट प्रदान किये जाने संबंधी उक्त निर्देशों का दुरुपयोग न होने पाये इसलिए स्थानांतरण रोकने के पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित किया जाये कि स्थानांतरित पदाधिकारी का चुनाव शासकीय प्रतिनिधि की देख–रेख में कराए गये हों तथा मतदान के आधार पर चयनित पदाधिकारियों की सूची संबंधित विभाग/कार्यालय एवं इस विभाग को प्रतिवर्ष दिनांक 30 अप्रैल तक अद्यतन स्थिति में जमा की गई हो। ऐसी सूची में दर्शाए गए पदाधिकारियों को, स्थानांतरण की छूट के संबंध में जारी संदर्भित परिपत्र दिनांक 24 जून, 1996 में वर्णित निर्देशों का पालन करते हुए दिया जाये। निर्देश का दुरुपयोग या अनुचित लाभ न लिया जाए यह भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

12.3.07

(ओ0 पी0 चौधरी)
उप संचालक
सामान्य प्रशासन विभाग–15

पृ.क्र. एफ 3–1/2007/1–15/क.क.

भोपाल, दिनांक: 12 मार्च, 2007

प्रतिलिपि :–

पत्राचार की सुविधा प्राप्त कर्मचारी संघों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित। संघ के पात्रताधारी पदाधिकारियों की जानकारी सा.प्र.वि.,कक्ष–15 को 30.4.2007 तक अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करें। इस तिथि के बाद प्राप्त किसी भी सूची को विचार में नहीं लिया जायेगा।

697
16.3.07

Circular 2144

12.3.07
उप संचालक
सामान्य प्रशासन विभाग–15

कार्या० आयुक्त आ. वि.

पृ. क्र. स्था/3/सर्कुलर/06 5499 भोपाल. दि० 21-3-07.

प्रतिलिपि

(1) आयुक्त अनुसूचित जाति वि०/संचालक T.A.D.P/संचा. T.R.I. संचा. पिछड़ा वर्ग

(2) समस्त सहा. आयुक्त को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यवाही

(3) समस्त उपसंचा. (उपायुक्त) को आवश्यक कार्य. हेतु

(4) समस्त जिला संयोजक ...

16/3

O/C

सहा. आयुक्त
आदि० विभाग (म.प्र.)

55

कार्यालय आयुक्त,आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश

क्रमांक /स्था.3-2/ 17/ 07/ 6149 भोपाल, दिनांक 29/3/07

:: आदेश ::

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक सी–3–10 /03/3/1, भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2003 के व्दारा यह निर्देश दिये गये हैं कि सभी कार्यालयो / विभागों में सहायक ग्रेड–3 के 25 प्रतिशत पद वांछित शैक्षणिक योग्यता वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदोन्नति से भरे जाने के पूर्व प्रावधान में संशोधन कर अब यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी , जो सहायक ग्रेड–3 के पद पर नियुक्ति के लिये वांछित शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, को उक्त पद पर 2 वर्ष की परीक्षण अवधि पर इस शर्त के साथ नियुक्ति दी जाये कि इस अवधि में उन्हें मान्यता प्राप्त बोर्ड हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी तथा कम्प्यूटर संचालन की योग्यता प्राप्त करना होगी यदि दो वर्ष की परीक्षण अवधि में उक्त कर्मचारी व्दारा यह योग्यता प्राप्त नहीं कर ली जाती हैं, तो उन्हें उनके मूल चतुर्थ श्रेणी पद पर प्रत्यावर्तित किया जायेगा। 45 वर्ष से अधिक आयु के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उक्त शर्त से छूट प्रदान की जाये।

उक्त प्रावधान विभाग के सेवा भर्ती नियमों में सम्मिलित किया जाए तथा दिनांक 1 अप्रैल 2003 के पश्चात् चतुर्थ श्रेणी से पदोन्नत कर्मचारियों के नियुक्ति / पदोन्नति आदेश में इस आशय का संशोधन यदि नहीं किया गया हो तो किया जाए।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

26/3/07

अपर आयुक्त,
आदिवासी विकास,
मध्यप्रदेश.

पृ0 /क्रमांक /स्था.3-2/17 /07/ 6150 भोपाल, दिनांक 29/3/07

प्रतिलिपिः–

1. समस्त कलेक्टर, म.प्र.।
2. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/ जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण को सूचनार्थ तथा जिलों के समस्त अधिकारियों / कार्यालयों को सरकुलेट करने हेतु।
3. सरकुलर शाखा, कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास, म.प्र. को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. उपायुक्त, स्थापना–3 कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास, म.प्र. को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।

26/3/07

अपर आयुक्त,
आदिवासी विकास,
मध्यप्रदेश.

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल--462004

क्रमांक एफ 6–1/2007/एक/9 **भोपाल, दिनांक 11 मई, 2007**

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः-- **राज्य एवं जिलास्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2007--08**

राज्य शासन द्वारा गत वर्ष जारी स्थानांतरण नीति एवं इसमें समय–समय पर किए गए संशोधन आदेशों के क्रम में राज्य एवं जिला स्तर पर वर्ष 2007–08 हेतु निम्नानुसार स्थानांतरण नीति निर्धारित की जाती है:–

2/– प्रदेश में राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों के पूरे वर्ष निरन्तर स्थानान्तरण करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा। वर्ष 2007–08 के लिए इन निर्देशों के जारी होने की दिनांक से 30 जून, 2007 तक की अवधि के लिए प्रतिबन्ध शिथिल किया जाता है एवं इस अवधि मे प्रत्येक विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थानातरण कर सकेंगे।

3/– जो विभाग अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के संबंध में अपने लिए पृथक स्थानांतरण नीति निर्धारित करना चाहेंगे, वे सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से ऐसा कर सकेंगे, परन्तु इस नीति के मुख्य प्रावधानों से अन्यथा नीति नहीं बनाई जायेगी।

4/– जिला स्तर के संवर्गों के कर्मचारियों का जिले के अन्दर स्थानांतरण जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से किया जायेगा। जिला स्तर के संवर्गों के कर्मचारियों का जिले के बाहर स्थानांतरण अथवा राज्य स्तरीय संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में प्राप्त आवेदन/प्रस्ताव प्रभारी मंत्री, संबंधित विभागीय मंत्री को निर्णय हेतु प्रेषित करेंगे।

5/– राज्य स्तर पर अधिकारियो/कर्मचारियों के स्थानान्तरण सामान्य विभागीय प्रक्रिया के अन्तर्गत ही किए जाने चाहिए। द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के अन्तर–जिला स्थानांतरण विभागाध्यक्ष स्तर से, विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत एवं प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के स्थानांतरण राज्य शासन स्तर से, विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विभागाध्यक्ष के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद किए जाएं।

6/– प्रत्येक पद/संवर्ग में वर्ष में (प्रतिबंध अवधि सहित) अधिकतम निम्नानुसार स्थानांतरण किए जा सकेंगे --

क्रमांक	पद/संवर्ग की संख्या	**अधिकतम स्थानांतरण का प्रतिशत (पद/संवर्ग में कार्यरत संख्या के आधार पर)**
1	200 तक	20 प्रतिशत
2	201 से अधिक	**40+200 से ऊपर का 10 प्रतिशत**

7/– उपरोक्त अधिकतम प्रतिशत मे स्वंय के व्यय पर रिक्त पद पर, परस्पर स्वंय के व्यय पर एवं पदोन्नति/प्रतिनियुंक्ति से वापसी पर रिक्त पद पर किये जाने वाले स्थानांतरण शामिल नही किये जाएगें ।

8/– इस स्थानान्तरण नीति से हटकर किये जाने वाले स्थानान्तरण के प्रकरणों में माननीय मुख्यमंत्रीजी के समन्वय में आदेश प्राप्त करने होंगे।

9/– राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार स्थानांतरण हेतु निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाए:–

9.1 **स्थानांतरण द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्रों में की जाए। अनुसूचित क्षेत्रों में शत–प्रतिशत रिक्त पदों की पूर्ति होने के बाद ही गैर अनुसूचित क्षेत्रों में रिक्त पद स्थानांतरण द्वारा भरे जाएं।** अनुसूचित क्षेत्रों में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ही स्थानांतरण किए जाएंगे, किन्तु ऐसे स्थानांतरण, उनकी जिले में पदस्थापना की वरिष्ठता के क्रम से किये जायें, अर्थात जो पूर्व से पदस्थ हो उसका स्थानांतरण पहले किया जाये। अनुसूचित क्षेत्रों से गैर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानांतरित शासकीय सेवकों को तब तक भारमुक्त न किया जाये, जब तक कि उनके स्थान पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी द्वारा पदभार ग्रहण न कर लिया गया हो, परंतु –

9.1.1 उक्त शर्त एक अनुसूचित क्षेत्र से दूसरे अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।

9.1.2 अनुसूचित क्षेत्रों से गैर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानांतरित शासकीय सेवकों के रिलीवर की प्रतीक्षा किए बिना भारमुक्ति के विशिष्ट अपवादिक प्रकरणों में विभागीय मंत्री द्वारा समन्वय में मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर निर्णय किया जा सकेगा।

9.2 नवगठित जिलों में भी रिक्त पदों की पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। इन जिलों के रिक्त पदों की पूर्ति के उपरांत ही अन्य जिलों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही की जाएगी।

9.3 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिले में की जायेगी। जिले के भीतर इन अधिकारियों की पदस्थापना कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत की जायेगी।

9.4 तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की जिले में पदस्थापना/स्थानांतरण जिला कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत किया जाएगा।